

प्रेस-नोट थाना खजनी गोरखपुर दिनांक 10.08.2022

गैर इरादतन हत्या मे वांछित अभियुक्त 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा "अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में चलाये जा रहे अभियान/निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी खजनी के कुशल पर्यवेक्षण में इकरार अहमद प्रभारी निरीक्षक थाना खजनी जनपद गोरखपुर मय हमराह, व एसओजी टीम द्वारा थाना खजनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 234/2022 धारा 304 भादवि व 15(3) IMC ACT मे झोलाछाप डाक्टर विजय प्रताप पासवान पुत्र लालमनि पासवान निवासी सिसवा पोस्ट खुटहा बाजार थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज को कूड़ा घाट तिराहा से दिनांक 09.08.2022 को समय करीब 18.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया । अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण - दिनांक 08.08.2022 को समय 05.00 बजे शाम को वादी के भतीजा प्रिन्स पुत्र लालचन्द यादव निवासी कन्दराई थाना खजनी जनपद गोरखपुर उम्र करीब 13 वर्ष के दाहिने पैर की अंगूठे मे चोट थी जिसका इलाज कराने वो गया था जहाँ पर झोला छाप डाक्टर झोला छाप डाक्टर विजय पासवान द्वारा तीन इंजेक्शन लगाया गया जिससे प्रिन्स के मुँह से झाग निकलने लगा जिसे सदर अस्पताल ले गये जहाँ पर डाक्टर द्वारा प्रिन्स को मृत्यु घोषित कर दिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विजय प्रताप पासवान पुत्र लालमनि पासवान निवासी सिसवा पोस्ट खुटहा बाजार थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 234/2022 धारा 304 भादवि व 15(3) IMC ACT थाना खजनी गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

कूड़ा घाट तिराहा से दिनांक 09.08.2022 को समय करीब 18.30 बजे

गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी व कर्मचारीगण-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री इकरार अहमद थाना खजनी
2. उ0नि0 मनीष यादव एसओजी प्रभारी मय टीम
3. का0 देवीशंकर यादव थाना खजनी,
4. का0 आशीष रंजन थाना खजनी

